वित्त निर्देश 23/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 184/सी-33224/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर, दिनांक 07.06.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-शासकीय पदों पर नियुक्ति के लिए बुलाए गए उम्मीद्वारों को यात्रा भत्ता।

संदर्भः-1. वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 2030/IV-R-I दिनांक 22.6.1963।
2. वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 1360/नं.क.853/चार/नि 2/69 दिनांक 25.8.1969 ।
3. वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 750/1166/ IV-R-I दिनांक 16.6.1976 ।
4. वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 776/1323/77/नि.-1/चार दिनांक 7.9.1977 ।
5. वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक डी- 872-1456-84-नि-1-चार, दिनांक 1.5.1984 ।

संदर्भित ज्ञापनों द्वारा राज्य शासन के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा/साक्षात्कार हेतु की गई यात्राओं के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ता संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा संदर्भित समस्त निर्देशों को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. शासन के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान से परीक्षा/साक्षात्कार के स्थान तक आने-जाने का यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। परंतु पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों को इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी ।

2. यात्रा भत्ता की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

(क) रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु - आवेदक के निवास स्थल के समीपस्थ रेलवे स्टेशन अथवा वह स्थान जहां से वास्तविक रूप में यात्रा की गई है, दोनों में से जिसकी दूरी कम हो, से परीक्षा/साक्षात्कार के स्थल के समीपस्थ रेलवे स्टेशन तक सबसे कम दूरी के मार्ग से आने एवं जाने हेतु की गई यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के पद हेतु ए.सी. थ्री टीयर का किराया, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के पद हेतु स्लीपर क्लास का किराया एवं चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु साधारण द्वितीय श्रेणी का किराया देय होगा।

(ख) सड़क द्वारा की गई यात्रा हेतु - प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पद हेतु गैर वातानुकूलित डीलक्स बस तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी। बस के अलावा अन्य साधनों से की गई सड़क यात्रा हेतु रेल से जुड़े हुए स्थानों के लिए रेल की द्वितीय श्रेणी का किराया एवं केवल सड़क मार्ग से जुड़े हुए स्थान हेतु साधारण बस का किराया अथवा पचास पैसा प्रति किलोमीटर, जो भी कम हो, की दर से भुगतान किया जाएगा।

3. रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु रेल टिकट/पी.एन.आर. नंबर एवं बस द्वारा की गई यात्रा हेतु बस टिकट प्रस्तुत करना होगा।

4. उपरोक्तानुसार यात्रा भत्ता हेतु किया गया व्यय संबंधित कार्यालय का आकस्मिकता व्यय माना जाएगा, तद्नुसार आकस्मिकता व्यय के आहरण एवं संवितरण संबंधी सभी नियम इन व्यवहारों हेतु लागू होंगे। उक्त यात्रा भत्ता की स्वीकृति हेतु विभागीय नियुक्ति अधिकारी/राज्य लोक सेवा आयोग सक्षम प्राधिकारी होंगे। यात्रा भत्ता का भुगतान यथासंभव परीक्षा/साक्षात्कार की समाप्ति के पश्चात् उसी स्थल पर कर दिया जाना चाहिए। यात्रा भत्ता के भुगतान के पूर्व संवितरण अधिकारी द्वारा उम्मीदवार के पहचान संबंधी पूर्ण संतुष्टि कर ली जानी चाहिए। यदि भुगतान की राशि कम है तो इसका भुगतान कार्यालय के स्थायी अग्रिम से किया जा सकता है, किन्तु राशि स्थायी अग्रिम की राशि से अधिक होने पर इस हेतु अग्रिम आहरण किया जाकर भुगतान किया जा सकेगा एवं भुगतान के उपरांत उक्त अग्रिम का नियमानुसार तत्काल समायोजन कर लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 185/सी-33224/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर, दिनांक 07.06.2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर ।
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग